हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी नं० 1 ता 23 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील उक्त अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अतः उक्त अप्रार्थी नं० 1 ता 23 के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी नं० 24 ने पूर्व में दिनांक 17/06/19 को स्वयं को Formal पक्षकार अभिकथित करते हुए जवाब की आवश्यकता नही होना अंकित करवाया है।	
प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। जिसमें बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांकित 11-06-2018 पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।	
पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आये है, जिससे उनका प्रार्थी के अनुतोष के प्रति कोई उज्र नही होना प्रकट करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-	
निर्णय	
तन ग्राम रानीपुरा प०ह० कांसरडा तहसील धोद जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 106, 107/1, 107/2 की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांकित 11-06-2018 पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश इस शर्त पर प्रदान किया जाता है कि पत्थरगढ़ी आदेश की आड़ में किसी तरह के कब्जे का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
(मुहर: उपखण्ड अधिकारी खण्डेला)	हस्तान्तरण नहीं किया जावे। तहसीलदार खण्डेला पत्थरगढ़ी हेतु नियमानुसार जमा योग्य शुल्क राजकोष में जमा लेकर अनुसार पत्थरगढ़ी कार्यवाही सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली उनवान दुरुस्त होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner